（⿴囗⿱一𧰨殳 LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
（जीवन बीमा निगम अधिनियम， 1956 द्वारा संस्थापित） （Established by the Life Insurance Corporation Act，1956）

भाग－अ
भारतीय जीवन बीमा निगम को（जिसे यहां बाद में＂निगम＂कहा गया है）यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और पहले प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर，उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित，उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गयी है। अत：निगम इस पॉलिसी द्वारा करार करता है कि अनुसूची में निर्धारित परवर्ती प्रीमियमों की विधिवत प्राप्ति होने पर और उसके प्रतिफल स्वरूप बीमा राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज के，निगम और निगम के शाखा कार्यालय में，जहां इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है，उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो，निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची के शर्तों के अनुसार हितलाभ देय हो गए हैं और उसका दावा करने वाला／वाले उक्त व्यक्ति उसका／उसके हकदार है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो।
और एतद्वद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी इसके पीछे की तरफ छपी परिभाषाओं，हितलाभों，सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों，अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठांकन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा，के विषयाधीन होगी।
PART－A
THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA（hereinafter called＂the Corporation＂）having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree，in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule，to pay the Benefits，but without interest，at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule，on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this Policy Document，of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted．
And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions，Benefits，Conditions Related To Servicing Aspects，Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy．
मण्डल कार्यालय／DIVISIONAL OFFICE：

तालिका／SCHEDULE
शाखा कार्यालय／BRANCH OFFICE：

मूल प्लान के लिए
अंतिम प्रीमियम की देय तिथि：
Due Date of Payment of Last Premium for Basic Plan：

पीडब्ल्यूबी राइडर के लिए अंतिम प्रीमियम की देय तिथि：
Due Date of Payment of Last Premium for PWB Rider：

बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि：
Date of Birth of the Life Assured：
प्रस्तावक की जन्म तिथि： Date of Birth of the Proposer：

बीमित व्यक्ति की उम्र：
Age of the Life Assured：
प्रस्तावक की उम्र：
Age of Proposer：
क्या उम्र स्वीकृत है？

क्या उम्र स्वीकृत है？
Whether age Admitted？
Whether age Admitted？

Date of PWB Rider termination：
नोट：भाग स（हितलाभ）की शर्त 5 के अंतर्गत उल्लेख किए गए एलआईसी की प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर की शर्तं केवल तभी लागू होंगी अगर इस राइडर को चुना गया हो
Note：Conditions of the LIC＇s Premium Waiver Benefit Rider mentioned under Condition 5 of Part C（Benefits）shall only apply if this Rider has been opted for．

| प्रस्ताव सं．： <br> Proposal No．： | प्रस्ताव की तिथि： <br> Date of Proposal： | हितलाभ उदाहरण संदर्भ सं．： <br> Benefit Illustration Reference No．： |
| :--- | :--- | :--- |

प्रस्तावक का नाम और पता：Name and address of Proposer：
बीमित व्यक्ति का नाम और पता：Name and address of Life Assured：

लाभार्थी，हितलाभ जिसे देय हैं
Beneficiary to whom Benefits payable

|  | Nominees under Section 39 of the Insurance Act，1938 or proved Executors or Administrators or other Legal <br> Representatives who should take out representation to his／her Estate or rimited to the moneys payable under this Policy <br> from any Court of any State or Territory of the Union of India，as applicable． |
| :--- | :--- |
| प्रीमियम किस अवधि तक देय <br> Period during which premium payable | अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि या बीमित व्यक्ति की उससे पूर्व मृत्यु होने तक <br> Till the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the life assured． |
| प्रीमियम देय होने की तिथि <br> Dates when premium payable | निर्धारित देय तियि <br> On the stipulated due date in ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．को |

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित，जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office，whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed．

## दिनांक／Date：

## जांचकर्ता／Examined by：

कृते मुख्य／वरिष／शाखा प्रबंधक
फॉर्म नं．／Form No．：
p．Chief／Sr．／Branch Manager

| एजेन्सी कोड <br> Agency Code | एजेन्सी का नाम <br> Agency Name | एजेन्ट का मोबाइल नंबर／लैंडलाइन नंबर <br> Agent＇s Mobile Number／Landline Number |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |

भाग-ब: परिभाषाएं

1. उम्स का अध्थ प्रोलिसी के आरंभ होते समय बीमित न्यक्ति की पिछछल जन्मद्नि पर उम्म है।
 भुगतान की तिथि को नामित के नाबालिग होने
उस राशि/ हिलाभ को सुरक्षित रखा जाता है।
वार्बिकीकृत प्रीमियम एक पॉलिसी वर्ष में कुल देय प्रीमियम राशि है जो कि किसी
अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम, अर हो, को छोड़कर है।
समनदेशेती वह व्यक्ति है जिसे समनुदेश्न के फल्स्वर्वरपप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाभ हस्तांतरत किए जाते हैं।
"सममनाददरीता"- के पष्ष में पालिसी के अधिकारंत तथा हितलाभों के स्थानान्तरित होने की प्रक्रिया है।
मूल प्लान पॉंलिसी का वह भाग है जिसमें मूल हितलाभ का उल्लेख किया गया है
(इस पॉंलिस दस्तावेज में राइडर के अंतगतन संरक्षतत हितलाभों को छोड़कर अन्य (इस पालिसी दस्तावेज मे राइड
हिताभ, आर उन्हेंचा गया हो)
लाभाथी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतर्तत हितलाभों को प्राप्त
करने का पात्र है। लाभथी प्रस्वावक या कीलित करने का पात्त है। लाभार्था प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका सममदृेशती या
नामित व्यक्त या प्रमाणित निप्पादक या प्रशासक या कोई अन्य कैधानुक प्रतिनिध नामित व्यक्ति या प्रमाणित निष्पादक या प्रशीसक या काई अं निगम का अर्थ एलआईइसी जीवन बीमा निगम से है।
2. पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है। 10. जोखिम के आरंभ होने की तिथि वह तिधि है जब निगम बीमा हेत पॉलिसी की
तालिका के अनुसार जीखिम (संरशषष) को स्वीकर कर लेता है।
3. निहित होने की तिथि वह तिथि जब पॉलिसी के हिताभ पाने के लिए बीमित व्यक्ति
हुदार होता है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 4 में विनिद्विए हकदार होता है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 4 मे विनिर्देष
किया गया है।
4. परिपक्सता की तिथि का अर्थ वह निश्चित तिधि है जब हितलाभ पूर्णत: या 13. मूत्य पर मिलने वाली रकम का अर्थ करार के आरंभ के समय सहमत हितलाभ से है,
जो कि इस पौलिसी दस्तावे के "भाग स" की शत्त 1 में विनिधरित बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में देयत्तावे।
5. डिस्चार्ज फॉर्म पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा क्रमश: विदमानता/परिपव्वता/मूत्यु पर
 पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान योग्य हो।
 17. अनिरिक्त शापियेयम का अर्थ लिए संलन्नीज़ड़ी गई शतों से है।

है जो कि बीमालेखन निणयय के अनसार न्यनतम करार प्रियायम में अतिरिक्त प्रीमियम
18. अंतिम अतिरिक्त बोनस, जिसे टॉिनल (समाप्ति) बोनस भी कहा जाता है, पॉलिसी

की समाप्ति पर, हितलाभों के साथ देय अतिरित्त राशि है, अर लागू हो
19. पर्व समाप्ति बकाया कण और/या ऋण पर ब्याज को देय तिथि तक न चुकाने पर

पोलसी की पूव-समाप्ति की क्रिया है।
20. फ़ लीक अवधि पॉलिसी दस्तावेज की प्राप् से 15 दिनों की अवधि इस पॉलिसी के तथा शथों में से किसी से से असहमत के लो, तो उै उसके पास इस पॉलॉसिसी को लौटन नियमें
का विकल्य है।
 वह समय है जिसके दौरान बिना किसी जुमान/विलम्ब शुल्क के भुतान किया जा
सकता है तथा पोंलिी की शतों के अनुसार पोंलिसी को जोखिम संर्रणण के साथ सकता है तथा पाल़
प्रभावी माना जाता है
22. गारंटीड सरेन्डर मूल्य पॉलिसी के सरेन्डर किए जाने पर पॉलिसीधारक को अदा किए जाने वाले सरेन्डर मूल्य की न्यूततम सर्नरंटीड राशि है।
23. पभावी का अर्थ यह है कि पॉलिसी के अंत्तर् सभी
पहले या रियायती अवधिे में भुगान कर दिया गया है।
24. आईआरडएआई का अर्थ है दंश्योरेन्स सेग्युलेट्री एंड डेल्लपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ
25. कालाताती (लैप्स) पॉलिसी की वह दशा है जब रियायती अवधि के दौरान देय 25. कालातीत (लैप्स) पॉलिसी की वह दशा
प्रमियम का भुगतान नहीं किया जाता है।
26. बीमित व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संक्षण स्वीकार किया गया है। 27. ऋण निगम द्वारा पॉलिसीधारक को पॉलिसी पर देय सरेन्डर मूल्य पर आधारित ब्याजयुक्त पुनभुणातान योग्य राश़
28. परिपक्वता हितलाभ का अर्थ वह हितलाभ है जो कि परिपक्वता अर्थात इस पॉलिसी
दस्तावेज के "भाग स" शर्त 3 पर उल्लिखित पांलिसी अवधध की समाप्ति पर दे दस्तावेज के "भाग स", शर्त 3 पर उल्लिखित पॉलिसी अवधिधि कम समापि पर देय है,
आगर बीमित व्यकित पॉलिसी की परिप्ववता की निध्धारित तिथि तक जीवित रहता है।
29. महत्वपूर्f जानकारी वह जानकारी है जो कि पॉलिली प्राप्त करते समय बामित
व्यक्ति को पहले से ज्ञात जी. जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्तिव पॉलिसी के वर्तामेबेन पर पर प्रभाव होता है।
30. अवययक या नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।
31. नामांकन किसी व्यक्ति को "नामित" करने के लिए प्तस्तिव प्रुने में या बाद में
 द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है। समय-समय पर यथा संशाधित
1938 की धरा 39 के प्रवधान के अनुसार नामांकन किया जाना चाहिए।
32. नामित वह व्यक्ति है जो बीमित व्यक्ति की पॉलिसी की परिप्व्वा से पूर्व मृ्य की
दशा में पॉलिसी की राशि को मान्य रूप से डिस्चार् करने का अधिकार रखता है। द्रा में पॉलिली की राशि को मान्य रूप से डिस्चार्ज करने का अधिकार रखता है।
उदा 33. सहभातिता का अर्थ है निगम के अनुभव के आधार पर पालिसी मुनाफे में भागीदारी
की पात्र है। 34. चुकता पोंलिसी की वह स्थिते है, आगर 10 वर्ष से कम प्रीमियम भुगतान अवधि वाली पॉलिसियों के लिए कम से कम 2 पूरे वषों के प्रीमियम का भुगतान किया जाता
है तथा 10 वर बा उससे अधिक प्रमियम भुगतान अवधि वाली पालिसियों के लिए
 परिपव्वता तक एक वर्ष बाद आनेवाली प्रत्येक तिथि से है।

PaRT - b: dEFINTIIONS
Age is the age last birthday of the Life Assured at the time of the ment of the policy
Appointee is the person to whom the proceeds/benefits secured under the
Policy are payable if the benefit becomes payabole to the nominee and nominee is minor as on the date of claim paymen
Annualized Premium is the total amount of Premium payable in a policy year excluding Extra Premium and Rider Premium, if any
Assignee is the person to whom the rights and benefits are transterred by

Basic Plan is that part of the Poicic reierring to basic benefit (benefitis refered to
in this Policy Document excluding benefits covered under Rider, it opted tor). Benefciary means the person who is entitled to receive benefits under this Poicy. The Beneficiary may be proposer or Life Assured or his Assignee of Nominees of proved Lxecula
. Corporation means the Life Insurance Corporation of India established unde
Section 3 of the LC Act, 1956 .
.
10. Date of commencement of isk is the date on which the Corporation accepts
the isk tor insurance ( cover) as evidenced in the schedule of the policy. Date of vesting is the date from which the Life Assured becomes entitled the poicy
Document.
12. Date of Maturity means a fixed date on which benefit may become payable 13. Death Beneft means the benefit, agreed at the inception of the contract
which is payable on death of Life Assured as specified in Condition 1 of Part C of this Policy Document.
Discharge form is the torm to be filed by Polichldertanan to claim Due Date means a fived ditsurrender under the policy. payable by the Policynolder.
16. Endorsement means conditions attached//afixed to this Policy incorporating 17. Extra Premium means an additional premium for any risk not povided for and Bons, is an addition Final Additional Bonus, also called af Terminal Bonus, is an additional
amount payable along with the benefits on termination of the policy,
9. Foreclosure is an action of closing the poicy due to defaut in payment
.. outstanding loan and/or loan interest on odue date
20. Free Look Period is the period of 15 days from the date of receipt of the Poicy
Document to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy
21. Grace eriod is the time granted by the insurer from the due date for the
payment of premium, without any penaty) late fee, during which time the policy is considered to be inforce with the risk cover without any interruption 22. Guaranteed Surrender value is the minimum guaranteed amount of Surrender 23. Inforce means where all due Premiums have been paid on or before the due 23. Intorce means where all due Pre
date or within the grace period.
24. IRDAI means Insurance Reguaiory and Development Authority of ndia 25 Lapse is the staus of te Poy 25. Lapse is the status of the Policy when due Premium is not paid within
grace period.
26. Life Assured is the person on whose life the insurance cover has been 27. Loan is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation 28. Maturity Benefit means the benefit, which is payable on maturity ie. at the
end of the policy term as specified in Condition 3 of Part Cof of this Policy end of the policy term as specified in Condition 3 of Part $C$ of thi
Document, on life assured sunving the stipulated Date of Maturity.
29. Material information is the information arready known to the Life Assured a the time of obtaining a po
proposal Policy submited.
30. Minor is a person who has not completed 18 years of age
31. Nomination is the process of nominating a person who is named as
"Nominee" in the proosal form or subseguenenty included/dchanged by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of sectio

Nominee is the person who has right to give a valid discharge to the poliey monies in case of the death of the Life Assured
33. Participating means the Policy is eligible for share of profit depending upo
34. Paid - Up is the status of the Policy if the premius years for policies with premium paying term less than 10 years and if the premiums are paid for at least 3 full years for policies with premium paying
term 10 years or more and subsequent premiums are not paid within the term 10 years
grace period.
35. Policy Anniversary means one year from the date of commencement of the

37. पॉलालिीधारक इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।
37. पॉलिसीधारक इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।
38. पॉलिसी अववि थवों में पॉलिसी के अराभम होने की तिि से वह अब
39. पॉलिसी वष दो लागतार पॉलिसी वर्षागांटं के बीच की अवधि है। इस अवधि में

वर्षांट का दिन शामिल है तथा अगला फौलिसी वकणांठ दिन शामिल नहीं है।
40. प्रीमियम पॉलिसी के अंत्रात हितलाभों को सुरक्षित करने के लिए इस पॉलिस
दस्तावे की अनुसची में उल्लिखित विनिधर्धित समयों पर आवधिक रूप से पॉलिसीधारक द्वारा अदा की जाने वाली संविदातत राशि है। देय प्रेमियम 'कुल किस्त पीमियम' होगी, जिसमें शमिलिल होगी:
i) मूल प्लान के लिए किस्त्त प्रीमियम आ
i) राइडर के लिए किस्त प्रमियम, आर राइडर को चुना गय

इस पॉलिसी दस्तावेज में जहां कहीं भी 'प्रीमियम' शब्द को चुना गया है, उसमें को

1. प्रीमियम भुगतान अवधि का अर्थ वषों में वह अवधि है, जिसके दौरान प्रीमियम भुगतान किया जाना है।
2. निर्न्तर वीमा योग्यता का प्रमाण यह पॉलिसीधारक से मांती जानेनाली जानकारी
ताकि पॉलिसी के पुनः प्रवालन का निण्णय लिया जा सके इसमें उतम स्वास्यय की

3. पुनः प्रालन का अर्र्थ प्रीमियम का भुगातन न किए जानेवाली पॉलिसी को, सभी दे


 रसे का पात्र दिया गया
4. राइडर इस पॉलिसी के अंतर्तत विनिर्धीित किए गए अन्सार मल हितलाभों के साथ एक मूल्यवर्द्धित हितलाभ है।
 अन्नगची
5. अनुसुची आपके पॉलिसी दस्तावेज का एक अं है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण
6. सरल प्रत्यावर्ती बोनस 'लाभ सहित' पॉलिसों पर निगम द्रारा अतिरिक्त/लाभ के रूप
में जोड़ जाता है। निगम के अनुभव के अनुसार इसे प्रत्येक वित्तीय वर के अंत में प्रति हजार मूल बीमा राशि पर घुषित किया जाता है।
7. मृत्यु पर बीमा राशि इस पॉलिसी की अवधि के दैरान मृत्यु पर देय सुनिश्चित राशि।
8. परिपक्वता पर बीमा राशि इस पॉलिसी दस्तावे के भाग स की शतन 3 में उल्ले किए गए अनुसार परिपक्वृता पर देय सुनिश्चिति राशि है।
9. सरेन्डर का अर्थ परी पौलिसी को परिक्वता पे पहले व
10. सरेन्डर का अर्थ पूरी पॉलिसी को परिपव्वता से पहले वापस लेना/समाप्त करना है।
11. सरन्नर मूल्य का अर्थ, वह राशि है, आरा कोई हो, जो कि इस पॉलिसी के नियमे
तथ शतों के अनुसार उसे सरेन्डर करने की स्थिति में देय होती है।
 निश्शित प्रतिशत होगा (अनुसूची में विनिधारित
के अंत्तत लिए गए विकल्प पर निर्भ करणा।
12. वीमालेखन शब्द का इस्तेमाल जोखिम आकलन की प्रक्रिया का वर्णन करने तथा यह
सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संबधित व्यक्ति द्वारा जिन जोखिमों का Hमना किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए यह आनुपातिक द्वारागतन है। बीमालेखन के आधार पर संरक्षण की स्वीकृत या अस्वीकूति तथा उपयुक्त प्रीजियम या
शतनों को लागू किए जाने, आर कोई हो, के संबंध में फैसला लिया जाता है।
13. UाN का अर्थ इस प्लान को आईआरडीएआई द्वरा आबंटित यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर है।
F. साहित बोऩा यह प्र्यावर्ती बोन्स है जो घोषित किया जा चुका है तथा पॉलिसी
 भाग - स: हितलाभ
पॉलिसी के अंर्मात निम्नलिखित हितलाभ देय
 जोखिम के आरंभ होने की तिथि से पहले मृत्यु होने पर: भुगतान किए गई प्रीमियमों की कुल राशि, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियमे आर काइ हो, शामिल नहीं है, के बराबर की कुल राश़ का
जोखिम के आरेभ होने की तिथि के बाद मृयु होने पर:
मूल्य पर मिलने वाली रकम, जिले "सुन्यु पर रीमा राशि" तथा निहहित प्रत्यावती
बेनस और अंतिम अतिरित्त बबनस, अग्र कोई हो, के कुल के रूप में परिभाषित
 का 10 गनाा. के रुप में परिभाषित किया ग्या है।
 जोखिम के आरांभ होने की तियि: ही ीित व्यक्ति के 8 वर्ष से कम उम में प्रेश करने
की स्थिति में इस



any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.
14. Policy Term is the period, in years, from the Date of commencement of policy during which the contra
15. Policy Year is the poeriod between two consecutive poicy anniversaries. This
16. Premium is the contractual amount payable by the Policyholder at specified times periodically as mentioned in the Schedule of this policy Document to
secure the beneits under the policy. The Premium payable will be "Tota mium" which includes

Instament Premium for Rider, if iider has been opted for.
The term 'Premium' used anywhere in this Policy Document does not incluc
any taxes. Premium
payabo.
2. Proof of continued insurability is the information sought from the Policynolde
to decide revival of the policy. This includes Form of deciaration of Good to decide revival of the policy. This infludes
Heatth, Medical Reports, Special Reports, etc
nce proposal
Revival of a policy which was discontinued due to the non-payment of premium, means restoration of the policy by the insurer as per underviting
decision upon the receipt of al the premiums due and other charces/late fee, if any, as per the terms and conditions of the policy, upon being satisfied socuments and reports turished by the Paicyhalder in accordance with the
. Revival Period is the period of two consecutive years from the dal and of premium.
45. Rider is an add-on benefit in adadition to basic benefits as specified under nhis
Policy Document. 7. Rider Premium is the premium payable by the Policyholder along with the
premium under basic plan towards the additional coverbenefit opted unde - por 43. Schedule is the part of Policy Document that gives the specific detail 99. Simple Reversionary Bonus is the surpus/poritit added by the Corporation to Sum Assured on Death is the assured amount payable on death during the policy term.
51. Sum Assured on Maturity is the absolute amount payable on maturity as
mentioned in Condition 3 of Part C Cof this Policy Document. 52. Surrender means complete withdrawal / termination of the entire polio 52. Surrender means complete withdrawal / termination of the entire polic before maturity.
53. Surrender Value means an amount that becomes payable in cas
surrender in accordance with the terms and condition of this policy. 54. Survival Benentit is the e ebenefit payable on survival of the Lifie Assured at th a fixed percentage of Sum Assured (specified in the Schedule) and shal epend on the Option availed under the polic
Underwiting is the term used to describe the process of assessing risk and
ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks taced by the . rejection of cover as
terms, if any, is taken.
56. UIN means the Unique Identification Number alloted to this plan by the 5. Vested Bonus is the reversionary bonus, if any, which has already been
58. With Profits poicies means policies which are entitled for any share in surplus (profits) emering during the term of the policy in accordance with the term
and conditions of the policy PART- $\mathrm{C}:$ : BENEFTTS
payable under this policy
Death Beneffi: On death of the Life Assured before the stipulated Date o Beiore Dol
On death Before the Date of Commencement of Risk: Premium and Rider Premium, if any, shall be payabile.
$\frac{\text { On death Atter the Date of Commencement of Risk: }}{\text { Death benefit, defined as sum of "Sum Assured on Death" and vested Simple }}$
 sssured to be paid on death i.e. $125 \%$ of Sum Assured or 10 times a

This death benefit shal not be less than $105 \%$ of the total Premiums paid
excluduing Extra Premium and Rider Premium, if any, as on date of death. Date of commencement of risk: In case the age at entry of the Life Assured is Date of commencement of isk: In case the age at entiy of the Lite Assured is
less than 8 years, the risk under this plan will commence either one elay
betore the completion of 2 years trom the date commencement of poicy or before the completion of 2 years from the date commencement of policy
one day before the policy anniversary coinciding with or immediate one day before the policy ynniversary coinciding with or inmediately
fololowing the completion of y years of age, whichever is earier. For thos iged 8 years or or more, , isk will commence immediately
Survival Beneft: Provided the policy is inforce, on the Life Assured surviving
on each of the policy anniversaris, a fixed percentage of Sum Assured sha be payable every year stating trom policy aniversary coincididin with
following the completion of 20 years of age and thereater on each of nex

वर्षांगों पर बीमित व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष बीमा राशि के एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान किया जाएपा। यह निश्चित प्रतिशतन प्रस्ताव अवस्था में चुने गए विकल्प पर

| निम्नलिखित उम्र के साथ पड़ने वाली/उसके बाद पूरी होने वाली पॉलिसी वर्षगांठ | विद्यमानता हितलाभ के रूप में अदा किया जाने वाला बीमा राशि का प्रतिशत |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | विक्ल 1 | बिकल्प 2 | विकल्प 3 | विकल्प 4 |
| 20 से 24 वर्ष | शूय | $\begin{aligned} & 5 \% \text { प्रति } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 10 \% \text { वपति } \\ & \text { वर्व } \end{aligned}$ | ${ }^{15 \%}$ वर्ष |

परिक्वता हितलाभ: बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक जीवित बोनसों तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, आगर कोई हो, के साथ देय होगी। जहां परिपक्वता पर बीमा राशि विभिन्न विक्लों के लिए बीमा राशि के एक निर्धारित प्रतिशत के समान, निम्नानुसार हो
विकल्प 1: बीम राशि का $100 \%$
विक्ल 2: बीमा राशि का $75 \%$
विकल्प 2: बीमा राशे का $75 \%$
विकल्प 3: बीमा राशि का $50 \%$
विकल्प 3 : बीमा राशि का $50 \%$
विकल्प $4:$ बीमा राशि का $25 \%$
निहित होने की तिथि: आरा पॉलिसी परी तरह से प्रभावी हो तथा निहित होने की
तिथि तक बीमित व्यक्ति जीवित हो और इस निहित होने की तिथि से पहले पोलिसी की धनराशि हेत पात्त व्यक्ति से पॉलिसी को सुे्डरे करने के पह पहले पॉलिसी

 बीपित व्यक्ति को स्वत: निहित हो जाएगी और इस प्रकार निहित होने को निगम और
बीमित व्यक्ति के बीच करार माना जाएगा। बीिित व्यक्ति को पोंलिसी का समपणु बीमित व्यक्ति के बीच करार माना जाएगा। बीमित व्यक्ति को पॉलिसी का सम्प्रा
मालिक माना जाएगा तथा प्रस्तावक या उसके एस्टेट का उसमें कोई हित या मालिक माना जाएँ
अधिकार नहीं होगा।
5. राइडर हिताभ:
 हो): एलआाइसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइए अतिरक्त्त प्रीमियम के भुगान पर पात्
प्रस्तावक (इस राइर को चुने जने की तिथि को जिनकी उस 18 से 55 वर्ष कीच हो) को उपलाध्ध है. हालांकि यह राइइए पॉलिली के आरंभे के समय उपलब्ध है, लेकिन इसे प्रीमियम भुगतान अवाध के दोरान किसी पोलिली वष्वांठ पर भी चुना जा सकता है, बश़तं मूल प्रान की बकाया प्रीमियम भुातान अवधध कम से कम 5 वर्व हो. राइडर के इस विकल्य को प्रस्तावक
द्वारा स्वयं लिखित में अनुरोध करके अमल किया जा सकत है तथा इस बारे में निगम द्वारा सूचित किए जाने या अनुम्मारक दे की कोई आवश्थकता नहीं हैं
उल्लेख किए गए किसी के विपरीत होने के बावजुद, प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक
या प्रस्तावक की मुत्य तक जो भी पहलल हो मल प्लान के किस्त ीपिये के साथ इस
 और स्वकृक्त किया जाता है
अ) प्रस्ताकक को मूल्य की तिधि के बाद देय होने वाले मूल प्लान के प्रीमियमों के भुगतान
को माफ कर दिया जाएया। को माफ कर दिया जाएगा
ब) ऊुर (अ) में उल्लेख किया गया प्रीमियम मापी हितलाभ, प्रस्तावक की उम, व्यक्तिगत पाया जाता है कि इसमें कोई असत्य या गलत कथन है य किसी महत्वपण्ण जानकारी
 के इस
स) इस राइडर अंतर्गत उप्रोक्त (अ) में उल्लेख किया गया प्रीमियम माफी हिताभ उस
समय प्रभावी नहीं होगा, अगर प्रस्तक (चाहे वह मानलिक रुप से स्वस्थ हो या समय प्रभावी नहीं होगा, अार प्रस्तावक (चाहे वह मानलिक रूप से स्वस्थ हो या
अस्वस्थ) सस राइड़ के अंतगत जोखिम आरंभ होने की तिथि से 12 महेने के अंदर या पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के अंदर आतमहत्या करता है तो निगम द्वारा किसी
दवे पर विचार नहीं किया जाएगा। दववे पर विचार नहीं किया जाएगा।
टैक्स तथा अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर आरा कोई हो, के $80 \%$ को लौटा दिया जाएगा, बशते पोलिसी प्रभावी हो.
द) इस राइडर के लिए अदा किए गए अतिरिक्त प्रीमियम को मूल प्लान के अंतर्गत हितलाभ
 र) आर प्रस्ताव अवस्था या पुन्वलन पर प्वास्थ्थय जांच रिपोट तथा विशेष रिपोटस की आवश्यकता हो, यह निगम द्वरा नियुक्त स्वास्थ्य जांचकत्ता से प्रस्तावक के खर्चे पर ली जाएगी।
ल) राइडए के पुर्चलन पर मूल फॉलिसी के पुन्चलन के साथ विचार किया जाएगा। अदा
न किए एग प्रमियम की देय तिथि से सतत दो वषों की अवचि के अंदर या पॉलिसी $न$ किए गए प्रीमियम की देय तिथि से सतत दो वषों की अवधि के अंदर या पोलिसी
अवधधि की समाप्ति पे पहले, जो भी पहले हो, राइडर को पन्र्वलित किया जा सकता
 है, जो कि कालाओतात के अधीन होग।
स्वास्थ्थ के प्रमाण तथा प्रस्तावक की आदों के बारे में निगम हेत संतोषजनक यह
प्रमाण होना चाहिए उव्त प्रत्तावक की व्यक्तितत या पारिवारिक इतिहास या व्यवसाय प्रमाण हेना चाहिए उक्त प्रस्ताकक की व्य
में कोई प्रतूूूल परिवतन नहीं आया है।
मुनाफों में प्रतिभागिता: पॉलिसी के पूरी तरह से प्रभावी होने पर, निगम के अनुभव के
आधार पर पॉलिसी समय-समय पर संशोधित एलआइसी अधिनियम 1956 की धारा 28 के प्राधधाों के अनुसार मनाफों में प्रतिभागिता करेी तथा यह पोंलिएी थिगा द्वरा घोषित दर और शतां के अनुसार सरल प्रव्यावर्ती बोनस की पात्र होगी। सरल प्रत्यावर्ती बोनसों की घोषणा वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाजि पर
की जाएी, बशत्ते पॉलिसी पूरी तरह से प्रभावी हो। एक बार धोषित किए जाने पर वे
 आारभ होन की तिथे से चुनी हुई पीत
हो, जोड़ी जाएग।। आर प्रीमियमों का विधिवत भुगतान नहीं किया गया हो तो पॉलिसी भुनाफों
प्रतिभातिता नहीं करोगी, चाहे पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त किया हो या नहीं। आर पॉलिसी को सरेन्डर किया जाता है, तो निहित बोनसों का सरेन्डर मूल्य, आर काई हो, सरन्नर की तिथि को जो भी लोगू
शृत से. 5 में विनिधारित अनुसार देय होगा।
पॉलिसी के अंत्गात अंतिम अतिरिक्त बोनस की घोषणा उस वर्ष की जा सकती है जब मृत्य या परिप्वता के कारण दावे की स्थिति उत्पन्न हो।
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा।
four policy anniversaris. These fixed percentages shall depend on the
Option chosen at the proposal stage and for various Options the

| Policy Anniversary coinciding/ following completion of ages | Percentage of Sum Assured to be paid as Survival Benefit |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Optio |
| 20 to 24 years | Nil | $5 \% \text { each }$ | $\begin{aligned} & 10 \% \text { each } \\ & \text { year } \end{aligned}$ | $15 \% \text { each }$ |

Maturity Beneft: On the Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the polici is intirce, the Sum Assurued on Maturtity along with vested
Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any shall be payable Where the Sum Assured on Maturity as a fixed percentage of the
Sum Assured tor various Options are as pelow Sum Assured Ior various Oppions are as below.

## Option 1: $100 \%$ of Sum Assured Option 2: $75 \%$ of Sum Assured

Option 3: $50 \%$ of Sum Assured
Date of Vesting:If the policy is inforce and the Lifie Assured shall be alive o
the vesting date and ifa request in writing tor surendering the policy has no been received by Corporation before such vesting date from the person entitled to the poicicy moneys, this policy shal automatically vest in the $L$ Assured oratsuntlowing the completion of 18 years of age and shall on such
immedialely following vesting e deemed to be a contract between the Corporation and the Lie and the proposer or his estalae shall cease to have any right or interes and the propos
therein.
Rider Benefit:
Rider Benefit:
LC's Premium Waiver Benefit Rider (UIN: 5128220402 (If opted): LC's
Premium Waiver Benefit Bider is avaiabale to the elioibile proposer (asid
 between 18 years to 55 years as on the dati on which this rider is opted) on
papment of cadditiona premium. While thisis rider is savailable at a incepion, it can


 | in writing |
| :--- |
| Corpartion |

Notwithstanding anything within mentioned to the contrany in consideration od
the payment of additional premiums in respect of this rider with evet instament premium of of base plemeniums ill the respoctoct of this rider with ever
death of the proposer whichever occurs earilier it is hering temy declar till the agreed as follows
(a) The payment of the eremiums in respect of the base plan falling due atter
the date of death of the proposer shal be whived
(b) The Premium Waiver Benefit as stated in (a) has been granted on the
basis of the proposer's age personal stataement dealeation connected documents and in case it it f found that any untrue or incorra statementis contained thererin or any materiai information is withheld, then
and in every such case all clamm to the benefit shal be subiect to the and in ever, such case all claims to the benefit shall be subject to the
provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 , as amended from time to tim
c) The Premium Waiver Benefit described in (a) shall be void and no claims wirse enterained under this Rider, it the proposer (whether sane or of revival.

 e) The Premium Waver Benefit shall cease to apply if policy is
(f) The medical report and special reports, if reauired, at proposal stage or
on revival, shall be at the own expense of the proposer from the Cororation's appointed Medical Examine ex
(9) The erival or the idier wil be considerena along with the revivalof the base

 Lapsed Policies
Evidence of health and habits of the proposer to the satisfaction of the
Corporation and of evidence to show that there has been no advers. change in Personal or Family History or occupation of the said propose

 time and this policy will be eligible for Simple Reversionary Bonus at suac
rate and on such temms as may be declared by the Corporation. Simple Reversionary Bonuses shall be declared annualy at the end of each tinancial year provided the policy is inforce. Once declared, they form part
the guaranteed benefits of the plan Simple reversionan bonuses will be added from the date of commencement of poicy until the selected policy erm or till death, ifit occurs earie
In case the premiums shall not be duly paid, the policy shall cease to
participate in future profits irespective of whether or not the policy has paritipate in turue pred
acquired paid up value.
In the event of policy being surrendered, the Surrender Value of vested
bonuses, if any, as applicable on the date of surrender, will be payable as bonuses, if any, as appicabie on the date of surrender, wi be payable
specified in Condition 5 of Part $D$ of this Policy Document. Final Additional bonus may also be declared under the policy in the year
when the policy resuts into a claim either by death or maturity. Final Additional Bonus shall not be payabbe under paid-up poicices.

मीमियम का भुगतान:
अ) पॉलिलीधारक को इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लिखित देय तिथियों को प्रीयिय का भुगतान करना होगा।
30 दिनों से कम नहीं और मालिक प्रीमियमयों के लिए 15 दिनों की सिनियाती अवधि दी जाएगी। आर रियायती के दिनों के समाप्त होने तक प्रीमियम अभाधा दी जाएगय। आरार रियायती के दिनों के समाप्ता
भुतान नही कियो जाता है तो पोलिसी कालातीत हो जाएी।
आगर बीपित व्यक्ति की मूल्यु रियायती अवधि के दौरान लेकिन तब देय प्रीमिया पॉलिसी की आली वर्षांठ से पहले तथा मृत्यु की तिथि से देय व भुगतान किए गए प्रा
प्रभावी पॉलिसी के अंतर्वता बीपित व्यक्ति की मून्य के मामले में जहां मुल्य की
तिधि तक सभी प्रीयमों का भगतान हुआ है और जहों प्रीमियम के भुतान का
 प्रीमियम्स का भुगतान नहीं किया गया है, और वे आली पाँ/
पहले देय होती हैं, तो उन्हें दवे की राशि से काट लिया जाएा।
भाग - द: सेवा प्रदान करने के पहल से संबंधित शर्तं
उम का प्रमाण: प्रस्ताव प्रपत्र में घाषित की गई बीमित व्यक्ति की उम्र पर प्रीमिया
 पहुंचाए बिना, ऐसे मामले में प्रीमियम उस समय सही उम के आधार पर मूल
बीमाराशी के लिए निकाली गई दर से देय होगा और बीमित व्यक्ति प्रस्तावक नि को पोलली आरंभ होने से लिकर ऐस भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही उम के लिए प्रीमियम के बीच अंतर की संचितित राशि और उस पर उसी अवधि की
लिए निगम द्वारा उस समय प्रचलित निर्धारित दर पर ब्या नथापि, प्रावधान है कि यदि बीमित न्यक्धित प्रस्तावक इस्यमें उल्लिखित भुगान करे दर से भुगान करता रहे और उप्युक्त संचित कण राशि का भुगतान न करे
पॉलिसी प्रारभ होने की तिथि से पोलिसी के दवा बनने की तिथि तक सही उम ीी िियम और मूल प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और एसे अंतर की प्रत्येक किस्त पर दावे के समय प्रचललित दर से ब्याज के साथ देय होगी। उसे पॉलिसी पर
कीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा देय ऋण माना जाएगा तथा पोलिसी के अंतगतत दाबा होने पर पॉलिसी धनराशि में से काट लिया जाएगा
 बना दे तो उसको बीमा के आरंभ में प्रचलित प्रथा के अन्सार निगम द्रारा प्रदान वि
 जाने वाले बीमा वा अथवा शतों मे परवातित कर दिया जाएगा जो कि
 अधिए, आर 2 वषा से कम प्रीमियमो का भुतानान किया गया हो और 10 वर्ष
धिरिमेय भुगतान अवविध वाली पॉलिसियों के लिए आर 3 वषों से कम के लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और उसके बाद के पीमियमयों का भुगान न
किया गया हो तो अदा न किए गए पहले प्रीमयद की तिथि से र्यायती अवधि की समाप्ति के

10 वषां से कम प्रीमयय भुगातन अवाधे वाली पोलिसियों के लिए, आर कम से क्ष दो पूरे वर्ं के प्रीमियमें का भुगानान किया गया हो और 10 वर्ष या इससे अधि प्रीमियम भुगतान वाली पॉलिसियों के लिए आर कम से कम पूरे तीन वर्षों के
पीरमियमों भा भुतानान करने के बाद, तो यह पूरी तरह से अमान्य नहीं होगी, बल्कि चुकता पोंलिसी का रूप ले लेगी।
 जाएगा, जिसे "ममल्य चुकाल कुल संख्या) $x$ मृत्यु पर बीमा राश़ा के समान होगी। वुक्ता पॉलिसी के अंत्गरत परिपक्वता पर बीमा राशि घट जाएगी तथा इस राशि को
 पीमियम/देय प्रीमेयों की कुल संख्या) $x$ (परुपक्वता पर बीमा राशि + पॉलिसीी के
अंतगत देय कुल विदमानता हितलाभ)] - पॉलिसी के अंतगत अदा किए जा चुके विदमानता हुतलाभ के समान होगी। विदमानता हितलाभ को परिपव्वता पर चुकता बीमा राशि की गा
गया है, भविष्य में विदमानता हितलाभ अलग से देय नहीं हेगा।
इस प्रकार घटया गई पॉलिसी उल्लेख किए गए प्रीमियमें के अंत्रात भुगतान हेड इस प्रकार घटायी गई पॉलिसी उल्लेख किए गु प्रीमियमों के अंतर्तात भुगतान हेड
भभी दायित्वां से पुक्त होगी लिकिन भविथ्य के पुनाफों में मापदिरो की पात्र नही
 जुड़े रहें।।
उपरोव्त उन्लेख किए गए के बाबज़द, आगर इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पूरे
3 वष्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीमयम का


 शतां पर जो कि इसी अवधि के लिए पॉलिसी के पुन्चालन पर हो तथा (ब) आतली
पॉलिसी वरणांठ से पहले देय होने वाला मूल पोंलिसी के लिए अदा न किए गए प्रममियम ोो घटाकर किया जाएगा।
उपरोक्त उल्लेख किए गए के बावनद, आगर इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पे
5 वरों के प्रीमियों का भुतानान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीमियम
 महीने के अंदर बीमित व्यक्तित की मुल्यु होने पर "मत्युपु पर देय बीमा राशि" कू
भुगानन निहित सरल प्रत्यावती बीनसों, आर कोई हो, से साथ (अ) मूल पोलिसी हैल भुगतान, निहित सरल प्रत्यावती बोनसों, आगर कोई हो, के साथ (अ) मूल पॉलिसी हेड
मृन्य की तिथि तक अदा न किए गए प्रतियमों और उन पर लगने वालो ब्याज, उन्ही
 अदा न किए गए प्रीमियम को घटाकर किया जाएगा। हैन वाला मूल पोलसी के लिए
 ये प्रवधान वकलल्लिक राइडर पर लाग नहीं होते है क्योंके वे काई चकता मूल्य प्रापत
नहीं करते है और पोलिसी के कालतीत अवस्था में होने पर राइडर हितलाभ समाप्त
हो जातें। हो जाते हैं।


Payment of Premium
(a) The Policyholder has to pay the Premium on the due dates as specified Grace period: A grace period of one month but not less than 30 day and 15 days tor monthly premium. lit the premium is not paid before the and 15 days or monthy premium.l. the pren.
expiry of the days of grace, the Policy lapses.
Whe death of the Life Assured occurs within the grace period but before e payment of the premium then due, the policy will still be valid and the alas the balance premium(s), if any, falling due from the date of deat
and before the next pooicy ynivers.
Is in case of death of Life Assured under an inforce poicicy wherein all th
premiums due tilt the date of death have been paid and where the mod of payment of premium is other than yearly, balance premium(s), if any
falling due trom the date of death and before the next poicy annivessar - D: CONDITIONS RELATED TO SERVVICING ASPECT

Proof of Age: The premium having been calculated on the age of the Life
Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such位 Including those under the Insuranco Att, 1938, the erremium shall be payabol entry, and the accumulated difiference between the premium for the corect
gee and the original premium, from the commencement of the Policy upto the ate of such payment shall be paid tot the Corporation with interest at suc
rate as fixed by the Corroraioio trom time to to time. However in case the Lif Assured/Proposer continues to pay the premium at the rates shown herein
and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the coumulated difference between the premium for the correct age and th dingal premium from the commencement of this policy up to the date o difference at such rate as may be fixed by the Corporation from time to to tose hall accrue and be treated as a dobt due by the Life Assured / Propose on the Policy becoming a claim.

Provided further hna if he uife Assureds correct age at entry is such as specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altere such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according consent of the Policyholder, othemise the policy will be cancelled.
Non-forfeiture Regulations: For policies with premium paying term less tha years if less than 2 years' premiums have been paid and for policies wit
remium paying term 10 years or more if less than 3 years premiums havi been paid in respect of this policy, and any subsequent premiums be no duy paid, al the benefits under this policy shall cease ater the expiry grace eperio
payable.
For poicies with premium paying term less than 10 years if atter at least two Iul yearss premiums have been paid and for policies with premium paying
lerm 10 years or more if after at least three ful yeass' premiums have bee aaid, and any subsequent premiums be not duly paid, this policy shall not be Te Su Assed on Death under paid-up policy shall be reduced to such Sum caled "Death Paid-up Sum Assured" and shall be equal to [ [Number o eath]
The Sum Assured on Maturity under paid-up policy called as "Maturity
paid-up Sum Assured" shall be equal to [(Number of premiums paid/Tota
 Sunvival Benefits payable under the policy)] less Total amount of Survir The Surivival Benefits having aready been incorporated in the calculation of
Maturity Paid-up Sum Assured, tuture Survival Benefits shall not be payable separately
The policy so reduced shal thereater be free from all liabilities for payment the mentioned premium, but shall not be entitled to participate lumain attached to the reduced paid up policy
Notwithstanding what is stated above, if ateast three full years' premiums
have been paid in respect of this policy, and any subsequent premiums b ot duly paid, in the event of the deathy of the LLite Asssured within six month th vested simple reversionary bonuse sem, "Sum Assured on Death" along
 The date of death, on the same tems as for fevival of the Policy during such
period and (b) the balanee premium (s) for the basic policy falling due from
he date of death and before the next poicy anivers Stwithstanding what is stated above, if ateast five full years' premium have been paid in respect of this poicty. any subsequent premiums be not
duly paid in in event of death of the Life Assured within 12 months trom the
due date of fist unopaid premium Sum Assured on Death Sue date of first unpaid premium, Sum Assured on Death along with vested premium(s) for the basic poilicy unpaid with interest therean uptot the date o
death. on the same terms as for revival of the Policy during such period and (s) the balance premium(s) for the basic policy faling due from the date of These provisions do not apply to optional rider as rider does not acquire any
paid up value and the rider benefits cease to apply, if poicy is in lapsed ondition
Revival of flapsed Policies: If the policy has lapsed due to non payment of due
 first unpaid premium and before the date of maturity, on submisision of prool
fot continued insurability of the Life Assured and/or proposer (if LC'

प्रस्तावक (यदि प्रीमियम माफ़ हितलाभ राइडर चुना हो) के संतोषपपद, निर्त्तर बीमा
योग्ता का प्रमाण प्रस्ता करने तथा समय-समय पर निगम द्रारा निध्धारत दर पर
 भुगतान करने पर बहाल होगी। लेकिन निगम के पास स्थगित पॉलिसी को फिर से
बहाल करने को मूल शतां पर स्वीकार करने, संशोधित शतां के साथ स्वीकार करने
 रूप से सूचित कर दिया जाए
राइडर को पुन: प्रचालित करने, आगर चुना गया हो, पर तभी विचार किया जाएगा
अगर मूल पालिसी को भी पुन: प्रचालित किया जाता है, सिफ़फ उसे नहीं।
सरोन्डर: 10 वर्ष से कम प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए: पॉलिसी अवधि के दौरान
पॉलिसी को कभी भी सरे्डर किया जा सकता है, बशत्तं कम से कम लगातार दो पाललेरी को कभी भी सरेन्डर किया जा सकता
वष्वां के लिए प्रमियमों का भुगतान किया गया हो।
10 वर्ष या अधिक प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए: पॉलिसी अवधि के दौरान
पॉलिसी को कभी भी सेन्डर किया जा सकता है, बशतन कम से कम लगातार तीन वष्षों के लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो।
गारंटीड सेनेन्ड मूल्य, अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम, आरा चुनी गई हो
को छेड़कर, कुल अदा किए गए प्रीमियमों के लिए लाग कुल अदा करा
 हततलाभो, की राशि के समान होगी। प्रतशशत के रूप में व्यक्त किए गए ये गारंटीड
सरन्ड मूल्य घटकीं पोलिसी की अवधि तथा उस पोलिसी वर्ष पर निर्र करों
 रूप में सलन है
 प्युातान किया जाएगा, जो कि निहित बोनस और निहित बोन्नों पर लोगूर सरेन्डर
पूल्य घटक के गुणनफल के समान होगा यह प्रतिशतता सरेन्डर मूल्य घटक, पोलिसी अवधि तथा उस पॉलिसी वर्ष पर निर्र्र करोगी, जब पॉलिसी को सरेन्डर किया गया तथापि, इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष सरेन्डर
 चुकता बीमा राशि (भाग द की श्त 2 में परिभाषित अनुसार) तथा निहित सरल
प्रत्यावती बबननसों के योगफल का विशेष सरे्डर मूल्य घटक या गणनफल होगा। इस
 समय-समय पर बदल सकते हैं
राइडर पर, आगर कोई हो, कोई सरेन्ड मूल्य उपलब्ध नहीं होगा
पॉलिस पर खण: 10 वर्ष से कम प्रीमियम भुगतान अवधि वाली पॉलिसी के मामले में
अार कम से कम पूरे दो वष्टों के प्रीमियमों का भागतान किया गया हो तथा 10 वर्ष ये अार कम से कम प्रे दो वषों के प्रीमियमों का भुगतान किया ाया हो तथा 10 वर्ष या
अधिक प्रीमियम भुतान अववधि वाली पॉलिसी के मामले में अगर कम से कम परे तीन अधिक प्रीमियम भीगानान अवाधे वाली पोलिसी कामले मे आर कम स कम परे तीन पॉॉलियी के सरेन्र मूल्य के अंतर्गत की राशि के लिए तथा निगम द्रारा समय-समयय
निध्धरित की गई अन्य नियमों तथा शतों के अंतग्रत ऋण प्राप्त किया जा सकता हैं ) अवयस्क बीमित व्यक्ति के हित में उसके अवयस्क रहने की अवधि के दौ प्रस्तावक द्रारा अवयस्क बीमित व्यक्ति के हित में कण प्राप्त किया जा सकता है।

ii) निगम को ब्याज का भुगतान, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेते समय निग्म

 पहले की तिथि पर, जो भी उसके तुर्त्त बाद हो, जब ऋण स्वीकत किया गया
था, किया जाएगा और उसके बाद हरं छ. महीने पर किया जाएया। ब्याज कम से कम छ: महननों के लिए लिया जाएगा।
iv) चुकता पॉलिसियों के मामले में ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार देय तिथि को की समाप्ति के बाद किसी भी समय, ऐरी चूक करने वाली पौलिसियों को समय पर्व समाप्त करने के लिए अधिक्त है। ऐसी़ी पॉलिलियों को समय पूर्व समाप्त
किए जाने पर पूर्वसमापि की तिथि पर वे सरेन्डर मूल्य के भुगाने की पात्र होंगी, जिसे बकाया ऋण तथा उस पर देय स्याज को कोटकर अदा कर दिया
 भुगान पांलिसी
 की जाती है य म मूत्य के कारण दावा किया जाता है तो निगम द्वारा पॉलिसी की
धनराशि से बकाया कण या उसके किसी अंश को सभी देय ब्याजों के साथ काट लिया जाएगा।

## भाग - य लागू नहीं

भाग - ₹: अन्य नियम व शतें

 हुए पॉलिसी को लौटा सकता है। इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद कर
द्या
औरा सरा सरक्षता जोखिम अवधि के लिए आुपुतिक जोखिम प्रीमियम (मूल प्लान
 हो व स्टम्प झ्यूटी हेत शुल्क को काटकर, जमा किए गए प्रीमियम को लौटा देगा।
कुख घटनाओं में जबती: यहाँ नहहित या पुष्ठांकित किसी परास्थित के उल्लाधत होने की
स्थिति में या इस प्रस्ताव में, किसी निजी कथन, घोषणा तथा संबधित कागज़तों में कोई असत्य या गलत कथन पाये जाने पर या किसी महत्वपूर्ण जानकारी के नहीं बताये जाने की स्थिति में एवं प्रत्येक ऐसी स्थिति में पॉलिसी अमान्य हो जाएगी एवं ऐसी पॉलिसी के फलस्खरूप किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होग
3. समन्देशेन तथा नामांकन

अ) समनुदेशन इस प्लान के अंतर्तत समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अंत्गतत समनदेशेन की अनुमति है। धारा 38 के मौजूदा
प्रवधान इस पौलिसी दस्तावेज के परिशिष- 1 में दिए गए हैं. समानुदेशन की सारचना, पंजीकरण के लिए पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाले
निगम के कार्यालय में दी जनी चाहिए ब) नामांकनः इस दस्सावेज के भाग स की शर्त 4 में विनिर्धारित अनुसार बीमित
व्यक्ति में पॉलिसी के निहित होने को बात वह समय-समय पर यशासंशेधित व्यक्ति म पोलिसी के निहित होने के बाद वह समय-समय पर पथासंशेधित
बीमा अधिनियम 1938 की धरा 39 के अनुसार नामित व्यक्ति या व्यक्तियों कीमा आधिनियम 1938 है।

Premium Waiver Benefit Rider is opted for) to the satistaction of the Corporation and the payment of all the arrears of premium togeterer wify
interest ( compounding hal-yearly at such raat as fixed by the corporation
from time to time The Corporation howerer resel from time to time. The Corporation, however, reserves the right to accept at
original terms, accept with modified terms or decine the revival of orivinal terms, accept with moditied terms or decine the revival of a
discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only atter the same is approved by the Corporation and is specifically
communicated to the ProposerlLife Assured. Revival of rider, if opted for, will only
the basic policy and not in isolation.
Surrender: For premium paying term less than 10 years: The poicy can be
surrendered at any time during the policy term provided premiums have surrendoed al any time durngn the poicio
been paid for ateast two consecutive years
For premium paying term 10 years or more: The policy can be surrendered
at any time during the policicterm provided premiums have been paid for
俍 The Guaranteed Surrender Value shall be equal to the total premiums paid
excluding any Extra Premium and Rider Premium, if opted for, multipied by Ine Guaranted Surrender Value factor applicable to total premiums paid,
less any surival benefits already paid under the policy These Guaranted ess any survival benefits arready paid under the policy. These Guaranteed信 xure - 4 of this Policy Document.
$n$ adadition, the surrender value of vested Simple Reversionary Bonuses, if
any, shall also be payabole, which is equal he Surrender value ayabier, which in ic equal to vevested bonuses multified by Value factors will depend on the poity term and policy year in which policy is
surrendered and are contained in Annexure - -5 of this policy Document. However, under this policy Special Surrender Value will be payable, if it is
more tavorable to the Policyholder. The Special Surrender Value will be the Special Surrender Value factor multipied by the sum of Maturity paid-up Sum
Assured (as defined in Condition 2 of Part $D$ above) and vested Simple Assured (as defined in Condition 2 of Part $D$ above) and vested Simple
Reversionary Sonuses. The Special surrender Valae factoras applicable to this Reversionary Bonuses. The Speciail Surrender V Vaue factors applical
oolicy may change trom time to time with prior approval of IRDAA.
No surrender value will be avaiable on Rider, if any.
Policy Loan: Loan can be availed under this policy provided atleast two tull
years' premiums have been paid in case of premium paying term less than 10 years and atleast three full years' premiums have been paid in case of premium paying term 10 years or more, subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on
such further terms and conditions as the Corooration may fix from time to such thu
time:
) The loan during the minoority of Life Assured can be availed by the
proposer provided the loan is raised for the benefit of the minor Life proposer
Assured
ii) The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation iii) Interest on Looan shall be paid on compounding hall-yearly basis to the Corooration at her rate to ob sespecieried dy the Corporataion at the time of
taking toan under this policy. The first payment of interest is to be made on the next Policy anniversary or on the cate six months before the next Loan is sanctioned and every halt year thereaeater. Interest is charged tor a minimum period of six month
iv) In case of Paid-up policies, in the event of defaut in payment of loan would be entited to foreclose such policies which continue to be in defaut, anytime ater expiry of notice perioo of 30 days. Such policies
when being foreclosed shal be entited to payment of surrende vice When being foreciosed shat be entitertato payment of surundor value as
on date of toreclosure, if any, atter deduction of outstanding loan and accrued interest. However, in case of inforce policies (where all the due
premiums stand paid) and fuly paid-up poicies ( where all premium payable during the term of the policy stand paid), foreclosure action payable during the tee
shall not te applicable:
In case the policy shall mature or become due tor survival benefits or is
surrendered or become a claim by death, the Corporation shall become surrendered or become a claim by death, the Corporation shall become
entited todeduct the amoun ot the Laon or any portion theereo which is
outstanding, together with al all interest trom the policy moneys.
PaRTE
Not Applicable

1. Free look period: During the Free Look Period, if the Policyholder is not
satisified with the "Terms and Conditions" of the eolicy, helshe may return the satisfied with the "Terms and Conditions" of the policy, helshe may return the
policy to the Corporation stating the reasons of objections. On receipt of the policy to the Corporation stating the reasons of objections. On receipt of the
same the Corparatio shall cancel the policy and reumm the amount of
Prem Premium deposited after deducting the proportionate risk premium for basic
plan and rider, it opted for) for the period on cover and charges for medical plan and rider, if opted forl for the period on cover and
examination, special reports, if any, and stamp duty.
Forfeiture in Certain Events: In case any condition herein contained or
endorsed hereon be contravened or in case it is found that any untre indorect statement is contaned in the proposal, personal) statement.
declaration and connected tocuments or any material information is withene then and in every such case this policy shat be void and aliclamms to an beneftit in vitue of this policy shall be subject to the pire
the Insurance Act, 1938 , as amended from time to to time.
2. a) Assignments: Assignment is allowed under this plan as per section 38
of the Insurance Act, 1938 , as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure of this Policy provisisons of Section 38 are contained in Annexure-1 of this Policy
Document.
The notice of assignment should be submitted for registration to the office The notice of assignment should be submitted for
of the Corporation, where the policy is senviced.
b) Nominations: Atter the policy has vested in the Life Assured as specified in Condition 4 of Part Col this Plicy Document, he/she may appoint a Tominee or nominees as per Shen the insurance ACt, 1938 , as amended trom time to time. The current provis
contained in Annexure-2 of this Policy Document.

नामांक्न या नामांकन में परिवर्तन की सूचना निगम कार्यालय द्वारा पंजीकरण हेतु
पॉंलिसी को सेवा प्रदान करने वाली श़खा में, दी जानी चाहिए। नमांकन का पिजीकरण करते समय निगम उसकी चैधता या कानूनी प्रभाव के बारे में काई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है या अपनी कोई राय नहीं देता है।

## आतमहह्या: यह पॉलिसी अवैध मानी जाएगी

आर बीविित व्वक्ति (चाहे वह मानसिकक रूप से स्सस्थ हो या अस्वस्थ),
जोखिम के आरभ होने की तिथि से 12 महोनों के अंद आवमहल्या करता है जोखिम के आरम होने की तिथि से 12 महीनों के अंदर आतममह्या करता है
तो निगम द्वारा इस पांलिसी के अंत्गत किसी दवे पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल अदा किए गए प्रीमियमों के $80 \%$ को, किन्नीं अतिरिक्त
प्रीमियमों को छोडकरर, अर कोई हो, का भगतन किया जाएगा बशर्ता पॉलिसी प्रभावी हो। आर प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम हो तो यह धारा लागू नहीं होगी।
आर बीीित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ),
पन: प्रचालन की तिधि से 12 महृनों के अंदर अल्मह्या करता है तो
 छोड़कर, आरा कोई हो) या सरेन-डर मूल्य में से जो भी अधिक हो, का
भुगतान किया जाएगा। निगम द्वरा इस पोलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दवव पर
अ) आर पुनः प्रचालन के समय बीमित व्यक्ति की उन्र 8 वर्ष से कम हो।
आर
आगर पॉलिली चैकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो गयी हो तो ऐसी
पॉलिसी के अंगगत कुछ
 पॉलिसीधारक को प्रीमियम का भुगातान करने पर प्रीमियम की किस्त पर, जिसमें पॉलिसीधारक की प्रोमियम का भुताता करने पर प्रीमियम की किस्त पर, जिसमें
अतिरिक्त प्रीमियमें तथा राइडर प्रीमियम भी शामिल है, अगर कोई हो, टैक्स की

दावे के
दावे के लिए सामान्य आवश्यकताये : बीमित व्यक्ति/प्रस्ताकक की मूत्यु होने पर
दावददार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेजों में निगम द्वारा
 अकाउन्ट मे जमा होन के लिए दावेदार की ओर से एनईएफी आदेश, स्वामित्व का
प्रमाण, मुल्य का प्रमाण, मत्य से पर्व चिकित्सा उपचार स्कल/कॉलन/नियोव्ता का प्रमाण, मूल्य का प्रमाण, मुल्यु से पूर्व किक्ता उपचार, स्कूल/कॉलेज/नियोक्ता का
प्रमाण पत्र, इन में से जो लागू हो, निगम को संतोप्रद् रूप में पेश करना होगा।
 उम्र का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
पॉलिसी के परिपव्वता दावे में परेणत होने या विद्यमानता हिताल दावे की स्थिति
प्राप्त करने पा पालिसी के सरेड्डर किए जाने की प्राप्त करने या पॉलिसी के सरेन्डर किए जाने की स्थिति में, बीमित जीवन को
डिन्चार्ज फॉर्म के साथ मूल पॉलिसी दस्तावे, दावे की राशि के सीधि बैंक
 प्रमणा, आर उम को पहले स्वीकृत नहीं किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

लाभों का उदाहरण: मानक जीवन अवधारणा पर आधारित आपका अनुकूल हितलाभ
का उदाहरण इस पॉलियी दस्तावेज के साथ संलन है।

## भाग - ल: सांविधिक प्रावधान

## बीमा अधिनियम 1938 की धारा 4

समय-समय पर यशासंशीधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रवधान लाग हों। मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्-III में संलन्न

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में श्रिकायत समाधान अधिकारी हैं ग्राहकों की शिकायत का शीप्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://www.licindia.in के ज़रए ग्राहक शुभचिन्तक एकीकृत शिकायत प्रंधन प्रणली प्रस्तुत की है, जिसके ज़िए पंजीकृत पोलिसीधारक अपनी
शिकायत को सीधे दे कर सकते हैं तथा उसकी स्थिति पर निगरनी रख सकत हैं। ग्राहक अपनी शिकायत को सीध दर्ज कर सकते है तथा उसकी स्थिति पर निगरान रख सकत है ग्राहक अपनी
किसी समस्या के समाधन के लिए ईमेल अइडी co crmgrv@licindia.com पर भी सम्पक्ष कर सकते हैं।
आर प्राप्त प्रतिसाद से ग्राहक संतुष्ट नहीं हो या उसे 15 दिनों के अंदर हमसे कोई प्रतिसाद ने मेले तो ग्राहक निम्नलिखित किसी माध्यम से आईआरडी़आई के शिकायत कक्ष हो सम्पर्क कर सकता है।

सेन्टर) पर कॉल करे
यहां ई मेल भेजे complaints@irda.gov.in
ऑनलाइन शिकायत http://www.igms.irda.gov.in पर दर्ज के
बरियय/पत्र के जाएए शिकायत पहा मेजकर: उपीक्ता मामल विभाग, भारतीय बीमा ददराबाद - 500 029, अंध्र प्ददेश
वैदार मृल्य के दवव को अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट हों वे अपने मालले को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधन समिति या केन्द्रीय कार्यालय दवा विवाद समाधान समीति के पास भेज सकते है। प्रत्येक दावा विवाद समाधान समीति में उच्च शिकयतों से सममधान के लिए दववदा भारत सरका सद्वर्य के रूप में है। दवा से संबीधत कर सकते हैं जो कि ग्राहकों को कम खर्चें के साथ त्वरित गति से मध्यस्थता प्रदान करने के

The notice of nomination or change of nomination should be submitted or registration to the office ort the Corporation, whene the policy is
serviced I I registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or oxpresess any opinion as to it its validity or legal effect

It the Lite Assured (mhether sane or insane) commits suicicie at any time
within 12 months from the date of commencement of risk, the Corporation will not entertain any claim under this policy excepp tor $80 \%$ of the Premiums. paid excluding Extra Premium, if any, provided the
policici inforce. TTis clause shall not te applicable in case age at enty
of of the Life Assured is below 8 years.
ii. If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicicide within 12
months trom date of revival, an amount which is higher of $80 \%$ of the Premiums paid till the date of death (excluding Extra Premium, if any,) or the surrender value shall be payable. The Corporation will not entertain
any other clam under this policy. This clause shal not be anolicable: in case the age of the Life Assured is below 8 years at the time of reviva
b) for a policy lapsed without acquiring paid-up value and nothing shall be
payable under such policies.

Tax: Taxes, including Senice Tax, if any, shall
rate of tax shall be as applicable trom time to time.
The amount of tax as per the prevaling rates shall be payable by the
Policyholder as and when the premiums are paid, on the Instalment Premium including Extra Premium and Rider Premium, if any. The amount of
Tax paid shal not be considered for the calculation of benefitis payable under eplan

Normal requirements for a claim: The normal documents which the claimant
shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured /proposer shall be the claim forms as prescribed by the Corporation
accompanied with original policy document, NEFT mandate from the accompanied with original policy document, NEFT mandate from the
claimant or direct credit of the claim amount to the bank account, proot of Citite, proof of death, medicial treatment prior to death, school/ / colloge $/$
employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the employer's cettificate, whichever is appicable, to the satisfaction of the
Corporation II the age is not ammited under the policy, the proof of age of Corporation. If the age is not admitited under the
Where the policy results into maturity claim or result into a sunvival benefits
claim or in case of surrender of a policy, the Life Assured shal submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandaie t from the claimant for rirect credeit of the claim ammunt, to the bank account
besides proof of age, if the age is not admitted earier. besides proof of age, if the age is not admitted earier.
Legis ative Changes: The terms and conditions including the premiums and
beneefitis payable under this policy are subject to variaition in accordance with benerits payable under this policy are
8. Beneft Illustration: Your customized Benefit lllustration based on standard life

PART-G: STATUTORY PROVIIIONS
Section 45 of the Insurance Act, 1938
The provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as amended from time to time. The curre
this policy document.

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional Zona customer grievances the Corporation has introduced Customer friendil Integrated Complaint Manageement System through our Customer Portal (websit which is
regiser complaintl grievance and track its status. Customers can also contact at register complaint grievance and track is stauss. Customers can
In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a
response trom us within 15 days then the customer may apopoach the Grievance Cell of the IRDAl through any of the following modes.

- Caling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Cal - Sending an email to complaints@irda. govin

Register the complaint onine at http:///muw.igms.irda.govin
Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Developmen Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbag
Hyderabad- 500029 Andhra Pradesh. Sending the complaint by Fax to 040-66789768
Claimants not satisfied with the decisision of death Claim repudiation have the
option of reierring their cases for review to Zonal Office Claims Dispo option of referring their cases for review to Zonal olfice Claims Dispute Redressal
Commitie or Central oftice Claims Dispute eedressal Committee. A retired ligh Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal
Committes. For redressal of Claims related grievances, claimants can also Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also
approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy approach Insurance os

की भात 38 क अुनुनार







































## परिशिए ॥

## 












 का हित हो:

 पोलिसी में अंतरती था सममुदुशित का हित होगा

Assigment - As per Section 38 of the insurance ACt 1938, as amended by the






















 and








Provided thata a condioional asignees stall not be entived to ovtian a laan on the



 dealh:




 the ereors ot the insurer

4) A transer or assigmmen it ta poliy made in incocrocance with secioio 38 shal



















 उप-धृारों ( 7 ) और (8) में कुछ भी जीवन बीमाम की
उधारदाता के अधिरा को नु या समपन नहीं करा।










## सिरिश "I

## Аीमा कानूत

 जीवन बीमा की किरी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिधि से अथात पॉलिसी के जारी होने की तिधि लिए ब बालाया नहीं जा सकता है।
जीवन बीमा की किसी पोलिसी का


 सममनदीशता का लिखत मे उन
पर यह फसला लिया ग्या है।


अ. सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बमाधारक को विश्वाप्प अ. सुझावा हैं
बीमाधार द्वारा किसी तथय को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्ती किता जर्से विश्वास था

 उसके एजन्ट का यद
बोलने के बराब हो।
 को थोखेधड़ी के आधार पर अस्वीक़त नहीं कर सकता है, आर कीमाधरक/लाभाथी यी
ममाणित कर सके कि उसके द्वरा की गई गततबतानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसा
 धौरोधधड़ी की
स्पथीकरण - को संविदा के प्रयोजन के निए सीमाकर्ता का एजेन्ट माना जाएया
जीवन हीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिधि से या जरखिम के आत्य हनने की तिधि से या पॉंलीसी के पुनचलन की तिधि से या पॉलिसी के राइड की तिधि से तीन
 कणजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुन्चांलित की गई थी या ाइइड जारी किया गया था, छ्विपया गया था या गतत दिखाया गया था। शर्त यह है के बिमाकर्ता द्वार बीमाधारक को या बीमाधारक के काननी प्रतिनिधि या नामांकित
 आगे शर्त यह है कि महत्पप्रा तथ्य की गतनतबयनानी या छिपाए जाने के आधार पर पोलिसी की
 स्प्रीक करण - इस उप-थारा प्रवोजन है, किसी तथथ की गलतबवपनान या छिपाए जाने की
 बीमाकती को स्थापित तथथ की जानकरी होती तो वह बीमाधिरक को यह जीवन बीमा पोलिसी जारा नही करता।
उस धारा में निहित कुछ थी बीमाकता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांग्ने से नहीं रोका
 अही जा सकता है क्यांक प्रस्ताव मे गलत उत करे
अमे समयोजित किया गया था।
ovided also that the nomination, which has been automatically cancelled
 thentiy of poliey to the insure.
5) Where the policy matures for payment during the lifitime of the person whose ilier is policy shall be payababe to the policy-holderer or his heis or or legal reperesentativives of poicy shal be payabe to the polioy--holder or his heirs
he holdere of a succession ceeffificate, as the case may be


 sub-section (6) unlessitit is proved that the holder of the poicioy, having regard to the
nature of
this tute to to the policy could not have coniereded any such beneificial tite on
18) Subject as airoresaid, Where the nominiee. ort (therea are more nominees than one, a
 ,epresents the share of of the nominee or nominees so dying (as the case may be) Hall be payabel to the herrs or legal representaives of the nominee or nominees on the holder of a succession certifis
beneficially entitied to such amount
(9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shal operate to destroy or inpede the right of
any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of fife insurance.
 1) Where a policy-holder dies ater the maturity of the policy but the proceeds and
benefit of his policy has not been made to to him beecause of his death, in such a
(12) The provisions of this section shal not apply to any policy of lif insurance to which
secion 6 of the Married Women's Property Act,
B744, applies or has Provided hat where a nominiation made whether before or atiter the commencement It the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person hether or not on the tace of the policy, as beng made under this section, the sal.

## Annexure Section 45

n 45 as per the Insurance Act 1938 , as amended by the Insurance Laws
 the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later
A policy of life insurance may be called in question at any time within three years the ground of fraud. Provided that he insurer shall have to communicate in wrting to the insured or the
egal repesesentatives or nominees or assignees of the insured the grounds and
 the suggestion, as a fact of that wich is not true and which the insured (b) the active concealment of a fact by the insured having knowedge or belie cc) any other act fited to deceeve; and
) any such act or omision as hhe law specialy declares to be fraudulunt:
 Seak, or unless his silence is, in insesfi, equivialent to speak


 Provided that in case of fraud, the od
case the policynolder is not alive. Explanation $-A$ Person who solicits and negotiates a contract of insurance shal be
deemed for the purpose of the ormaion of the contract, to be the agent of the
 daie of revval of the policy or the daie of the rider Iot the poicicy whichever is itater, of the life of the insured was incorrectly made in the propososal or orther docoument on bsis
Hovided that the insure shall have to communicate in witity to the insurued or the
 esentaives or nomines or assignees of the insurued within sured or the legal representatives of nominees or assig
Explanation - For the purpose of this sub-section, the mis-statement of of
suppression of tact shal not be considered materia unless it has a direct bearing
 insurer been a
to the insured.
(5) Nothing in this section shal prevent the insurer from calling tor proof of age at any
time it he is entited to do so, and no pooicy shall be deemed to be called in



| निहित बोनसों पर लागू सरेन्डर मूल्य घटक (प्रतिशत में) |  |
| :--- | :--- |
| पॉंलिरी वर्व | पॉलिसी अवधि |




नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है: NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under

शाखा कार्यालय का पता: / Address of Branch Office


शिकायत समाधान अधिकारी का पता:
Address of Grievance Redressal Officer:


बीमा लोकपाल का पता
Address of Insurance Ombudsman


नोट: इन नियमों तथा शतों और विशेष प्रावधानों/शतों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई श्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं
YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

